लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ

दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की सम्पन्न हुई कार्य परिषद की कार्यवाही का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1. प्रो0 एस0पी0 सिंह – अध्यक्ष/कुलपति
2. प्रो0 यू0एन0 द्विवेदी, प्रतिकुलपति – सदस्य
3. संकायाध्यक्ष, कला संकाय – सदस्य
4. संकायाध्यक्ष, विधि संकाय – सदस्य
5. डॉ0 नन्दलाल भारती – सदस्य
6. प्रो0 कविराज – सदस्य
7. प्रो0 आर0आर0 यादव – सदस्य
8. प्रो0 बालक दास – सदस्य
9. प्रो0 पी0सी0 मिश्रा – सदस्य
10. प्रो0 वाई0के0 शर्मा – सदस्य
11. डॉ0 सी0पी0 सिंह – सदस्य
12. डॉ0 शरद कुमार – सदस्य
13. डॉ0 अवधेश कुमार – सदस्य
14. डॉ0 एस0डी0 शर्मा – सदस्य
15. प्रो0 आभा अवस्थी – सदस्य
16. डॉ0 श्याम बाबू गुप्ता – सदस्स
17. डॉ0 हरिभाऊ गोपीनाथ खण्डेलकर – सदस्य
18. प्रो0 राज कुमार सिंह – सचिव/कुलसचिव
19. बैठक में श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय, वित्त अधिकारी भी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम मा0 कुलपति महोदय ने सभी मा0 सदस्यों का स्वागत किया और बैठक में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले सदस्य 1. प्रो0 सूर्यकान्त, 2. श्री अनिल कुमार सिंह, 3. श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, 4. श्री देवी प्रसाद चौधरी (एडवोकेट), 5. प्रो0 (श्रीमती) कीर्ति सिन्हा, भौतिक विज्ञान विभाग, 6. डॉ0 श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव, वनस्पति विज्ञान विभाग 7. डॉ0 एम0एस0 नकवी, प्रधानाचार्य, शिया पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ के योगदान एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। परिषद के नवागत सदस्य 1. डॉ0 एस0डी0 शर्मा, प्रधानाचार्य, जे0एन0पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ, 2. प्रो0 वाई0के0 शर्मा, वनस्पति विज्ञान विभाग, 3. डॉ0 शरद कुमार, समाजशास्त्र विभाग का बैठक में स्वागत किया और उनसे सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा की। तत्पश्चात् मा0 कुलपति/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कुलसचिव/सचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गयी।

बैठक में समस्त कार्य–सूची मद पर विस्तृत चर्चोपरान्त सर्वसम्मति से मदवार निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

Scanned by CamScanner

मद सं0 01 (अ) कार्य परिषद की बैठक दिनांक 07.11.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गयी।

(ब) कार्य परिषद की अनौपचारिक बैठक दिनांक 04.01.2017 का परिषद द्वारा संज्ञान लिया गया।

मद सं0 02 दिनांक 07.11.2016 की कृत कार्यवाही से परिषद अवगत हुई तथा निम्नांकित मदों पर मा0 सदस्यों द्वारा समस्त प्रपत्रों सहित सम्पूर्ण विवरण के साथ तथ्य आगामी कार्य परिषद की बैठक में मा0 सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 12.04.2017 की सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक के विनिश्चय संख्या 02 के अन्तर्गत दिनांक 07.11.2016 की कृत कार्यवाही से परिषद अवगत हुई परन्तु दिनांक 07.11.2016 के विनिश्चय संख्या 09 के अन्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत 35 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियत वेतन प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर कर्मचारियों की अंकित संख्या पर परिषद द्वारा संदेह व्यक्त किया गया तथा समग्र विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों की संख्या को कुलसचिव कार्यालय के शिक्षणेत्तर अनुभाग से उक्त संख्या का सत्यापन कराने के उपरान्त ही आगामी कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

मद सं0 03 वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.03.2017 की कार्यवृत्त पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गयां

मद सं0 04 महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा गठित वरिष्ठता समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार प्रो0 उमेश दत्त मिश्रा, भौतिक विज्ञान विभाग को प्रो0 एस0के0 पाण्डेय, सांख्यिकी विभाग से वरिष्ठ माना गया। परिषद द्वारा वरिष्ठता समिति के निर्णय को सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया।

मद सं0 05 डॉ0 मनीषा, सहायक आचार्य, आधुनिक एवं मध्यकालीन इतिहास विभाग, ल0वि0वि0 द्वारा अस्थायी प्रवक्ता के रूप में की गयी सेवाओं की अवधि में प्राप्त अंतिम मूल वेतन रु0 28610/— को सहायक आचार्य के मौलिक पद पर सरंक्षित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर वित्त अधिकारी, ल0वि0वि0 से प्रकरण पर परीक्षणोपरान्त स्पष्ट मत प्राप्त करने के पश्चात शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

Scanned by CamScanner

मद सं0 06 परिषद द्वारा प्रो0 अमृतेश चन्द्र शुक्ला, वनस्पति विज्ञान विभाग को पूर्व संस्था मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजॉल में प्रोफेसर पद पर आहरित वेतन को लखनऊ विश्वविद्यालय में दिनांक 20.08.2016 पूर्वान्ह से रु0 49,660/– एवं ए0जी0पी0 रु0 10,000/– में वेतन संरक्षित किये जाने के प्रस्ताव को शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि प्रो0 शुक्ला का चयन प्रोफेसर के कैडर पद पर किया गया है इसलिए प्रो0 शुक्ला का प्रोफेसर पद पर प्रारम्भिक वेतन रू0 43000/–+ रू0 10000/– ए0जी0पी0 निर्धारित किया जाय।

मद सं0 07 परिषद द्वारा सुश्री उर्वशी सिरोही, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग को उनके मूल प्रपत्रों की सम्बन्धित संस्था/सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराने के उपरान्त दिनांक 12.02.2017 से स्थायी किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 08 परिषद द्वारा सुश्री अनुपमा सिंह, सहायक आचार्य, सांख्यिकी विभाग को उनके मूल प्रपत्रों की सम्बन्धित संस्था/सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराने के उपरान्त दिनांक 29.01.2017 से स्थायी किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 09 परिषद द्वारा डॉ0 संजीव कुमार, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग को उनके मूल प्रपत्रों की सम्बन्धित संस्था/सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराने के उपरान्त दिनांक 12.02.2017 से स्थायी किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 10 परिषद द्वारा डॉ0 आनन्द बल्लभ जोशी, सहायक आचार्य, गणित विभाग को उनके मूल प्रपत्रों की सम्बन्धित संस्था/सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराने के उपरान्त दिनांक 28.01.2017 से स्थायी किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 11 परिषद द्वारा सुश्री शाम्भवी मिश्रा, सहायक आचार्य, सांख्यिकी विभाग को उनके मूल प्रपत्रों की सम्बन्धित संस्था/सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराने के उपरान्त दिनांक 11.02.2017 से स्थायी किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 12 परिषद द्वारा सुश्री रोली मिश्रा, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग को उनके मूल प्रपत्रों की सम्बन्धित संस्था/सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराने के उपरान्त दिनांक 12.02.2017 से स्थायी किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned by CamScanner

<u>मद सं0 13</u>	परिषद द्वारा सुश्री शची राय, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग को उनके मूल प्रपत्रों की सम्बन्धित संस्था/सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराने के उपरान्त दिनांक 15.02.2017 से स्थायी किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
<u>मद सं0 14</u>	परिषद द्वारा डॉ0 आकाश अस्थाना, सहायक आचार्य, सांख्यिकी विभाग को उनके मूल प्रपत्रों की सम्बन्धित संस्था/सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराने के उपरान्त दिनांक 09.01.2017 से स्थायी किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
<u>मद सं0 15</u>	परिषद द्वारा डॉ0 मानिनी श्रीवास्तव, सहायक आचार्य, मनोविज्ञान विभाग को उनके मूल प्रपत्रों की सम्बन्धित संस्था/सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराने के उपरान्त दिनांक 20.01.2017 से स्थायी किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
<u>मद सं0 16</u>	परिषद द्वारा डॉ0 लक्ष्मी शर्मा, सहायक आचार्य, व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग को उनके मूल प्रपत्रों की सम्बन्धित संस्था/सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराने के उपरान्त दिनांक 21.03.2017 पूर्वान्ह् से स्थायी किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
<u>मद सं0 17</u>	परिषद द्वारा डॉ0 हिमान्शू मोहन, सह~~ायक~~ आचार्य, व्यापार प्रशासन विभाग को उनके मूल प्रपत्रों की सम्बन्धित संस्था/सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराने के उपरान्त दिनांक 19.02.2017 पूर्वान्ह् से स्थायी किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
<u>मद सं0 18</u>	परिषद द्वारा डॉ0 संगीता साहू, सह~~ायक~~ आचार्य, व्यापार प्रशासन विभाग को उनके मूल प्रपत्रों की सम्बन्धित संस्था/सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराने के उपरान्त दिनांक 19.02.2017 अपरान्ह् से स्थायी किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
<u>मद सं0 19</u>	परिषद द्वारा माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में इन्जीनियरिंग संकाय स्थापित करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 11.02.2017 में सर्वसम्मति से इन्जीनियरिंग संकाय खोलने एवं उसकी विस्तृत कार्य योजना पर सहमति प्रदान कर अनुमोदित किया गया।

Scanned by CamScanner

मद सं0 20. परिषद द्वारा मा0 कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में डॉ0 राम शरण गुप्ता, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) के0एन0आई0टी0, सुल्तानपुर को इन्जीनियरिंग फैकल्टी, नवीन परिसर में स्थापना हेतु कोआर्डिनेटर/प्रोफेसर इंचार्ज की नियुक्ति अग्रिम आदेशों तक किये जाने एवं डॉ0 गुप्ता द्वारा आहरित अन्तिम वेतन/पेंशन से प्राप्त धनराशि को घटाकर मानदेय दिये जाने के आदेश तथा श्री राम कुमार, उपकुलसचिव (सेवानिवृत्त) को ओ0एस0डी0 इंजीनियरिंग फैकल्टी में नियत रु0 30,000/—प्रतिमाह पर तीन माह के लिये अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 21 (अ) विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में तत्समय आवश्यक न्यूनतम अर्हता न होने पर भी डॉ0 सुकान्त कुमार चौधरी की प्रवक्ता पद पर की गयी नियुक्ति तथा डॉ0 रमेश चन्द्र त्रिपाठी का विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में उपाचार्य पद पर किये गये अनुचित/संदिग्ध प्रत्यावर्तन के प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति कार्यालय के पत्र संख्या ई 11228 जी0एस0 दिनांक 08.12.2016 के द्वारा विश्वविद्यालय/कार्य परिषद को दिये गये निर्देश के अनुपालन में परिषद द्वारा उक्त प्रकरण की जांच हेतु मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें निम्न सदस्य नामित किये गये :—

1. प्रो0 एस0पी0 सिंह, मा0 कुलपति, ल0वि0वि0 (अध्यक्ष)
2. न्यायमूर्ति आलोक कुमार (सेवानिवृत्त)
3. श्री के0एल0 गुप्ता, सेवानिवृत्त, डी0जी0पी0, उत्तर प्रदेश।

(ब) डॉ0 सुकान्त कुमार चौधरी, प्रोफेसर, समाज शास्त्र विभाग को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर के पद हेतु आवेदन किये जाने तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में धारित प्रवक्ता, उपाचार्य, आचार्य के पदों पर कार्य भार ग्रहण करने की तिथियों को भी अंकित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु प्रस्ताव पर परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि डॉ0 सुकान्त कुमार चौधरी को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाय किन्तु चयन होने की स्थिति में डॉ0 सुकान्त कुमार चौधरी को relieving प्रमाण पत्र लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा नियमानुसार निर्गत किया जाय।

Scanned by CamScanner

मद सं0 22

डॉ0 पी0सी0 श्रीवास्तव, रसायन विज्ञान विभाग को परिनियम 16.22 'क' के प्राविधानोन्तर्गत एवं कुलाधिपति महोदय के आदेश के अनुसार अवकाश नगदीकरण भुगतान किये जाने के प्रकरण पर परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण पर वित्त अधिकारी से नियमों का उल्लेख करते हुए आख्या प्राप्त कर इस प्रकरण को आगामी कार्य परिषद में विस्तृत विवरण के साथ रखा जाय।

मद सं0 23

(अ) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा प्रो0 आर0के0 महेश्वरी एवं डॉ0 रचना मुज्जू की जांच रिपोर्ट पर लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिवक्ता श्री सवित्र वर्धन सिंह के विधिक राय में उल्लेख किया गया है कि परिनियम 8.10(1) में Disciplinary Committee गठित किये जाने का प्राविधान है जिसपर कार्य परिषद ही निर्णय ले सकती है। विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1847/49–4–15–51(10)/10 दिनांक 09.02.2016 के आलोक में

एवं

(ब) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट पर विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 483/सत्तर–1–2016–16(59)/2016 दिनांक 09.11.2016 के सम्बन्ध में मा0 राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या ई–10494/10जी0एस02016–XII दिनांक 14.12.2016 के आलोक में प्रो0 जे0वी0 वैशम्पायन तत्कालीन प्रोफेसर, व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु जांच रिपोर्ट पर परिषद द्वारा मा0कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें निम्न सदस्यों को नामित किए जाने पर परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गई।

1. प्रो0 एस0पी0सिंह, कुलपति ल0वि0वि0(अध्यक्ष)
2. न्यायमूर्ति आलोक कुमार (सेवानिवृत्त)
3. श्री के0एल0 गुप्ता, सेवानिवृत्त, डी0जी0पी0, उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner

मद सं0 24 डॉ0 अमरजीत यादव, कोर फैकल्टी मानव चेतना एवं यौगिक विज्ञान संस्थान समाज कार्य विभाग, ल0वि0वि0 के सम्बन्ध में पूर्व में गठित समिति की रिपोर्ट परिषद के समक्ष रखी गई समिति के अध्यक्ष एंव अन्य दो सदस्यों की रिपोर्ट भिन्न–भिन्न होने के कारण परिषद द्वारा यह अनुभव किया गया कि इस प्रकरण की और अधिक गहराई से जॉच किये जाने की आवश्यकता है।

अतः परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि डॉ0 अमरजीत यादव के प्रकरण की गहन जॉच हेतु एक समिति का गठन पुनः कर दिया जाए। इस समिति में निम्न सदस्य नामित किए गएः–

1. डॉ0 एस0डी0 शर्मा, प्राचार्य, जे0एन0पी0जी0 कॉलेज,लखनऊः– अध्यक्ष
2. प्रो0 आर0के0 सिंह, अधिष्ठाता, विधि संकायः– सदस्य
3. प्रो0 बालक दास, भौतिक विज्ञान विभागः– सदस्य

मद सं0 25. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त रामाधीन सिंह गर्ल्स डिग्री कॉलेज, बाबूगंज, लखनऊ में एम0ए0 (समाजशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र) विषयों को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित करने हेतु अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2017–18 से दो वर्षो हेतु प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 26. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त रजत कॉलेज ऑफ एजूकेशन एण्ड मैनेजमेन्ट, लखनऊ में बी0एड0 पाठ्यक्रम को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी सहयुक्तता सत्र 2017–18 से प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 27. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त लाला महादेव प्रसाद वर्मा बालिका महाविद्यालय, गोसाईं गंज, लखनऊ में एम0एड0 पाठ्यक्रम को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित करने हेतु अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2017–18 से दो वर्ष हेतु प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 28. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त शशी भूषण बालिका विद्यालय डिग्री कॉलेज, लखनऊ में बी0कॉम0 पाठ्यक्रम की स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित करने हेतु अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2017–18 से तीन वर्षो हेतु प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned by CamScanner

मद सं0 29. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त रेडिएन्ट कॉलेज ऑफ लॉ, अमेठिया सलेमपुर, ब्लॉक काकोरी, हरदोई रोड, लखनऊ में एलएल0बी0 त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित करने हेतु अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2017–18 से प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 30. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त सिटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट, लखनऊ में बी0 कॉम0 पाठ्यक्रम की स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी सहयुक्तता सत्र 2017–18 से प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 31. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त लाला महावीर प्रसाद ओम प्रकाश वर्मा कन्या महाविद्यालय शिवरी मोहान रोड, लखनऊ में बी0कॉम0 पाठ्यक्रम को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित करने हेतु अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2016–17 के लिए विस्तारण प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 32. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त नर्वदेश्वर डिग्री कॉलेज, चिनहट, लखनऊ में बी0 कॉम0 (ऑनर्स) पाठ्यक्रम को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित करने हेतु अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2016–17 से तीन वर्ष की अवधि तक प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 33. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त आई0टी0 कॉलेज, लखनऊ में वर्ष 2017–18 से स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पूर्व से संचालित बी0एस–सी0 (बायो) एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रमों में एक–एक अतिरिक्त सेक्शन प्रदान किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 34. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत लखनऊ लॉ कालेज, अहिमामऊ, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में पूर्व से संचालित विधि पंचवर्षीय पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु अस्थायी सहयुक्तता को सत्र 2017–18 के लिए दी गयी शर्तों के अधीन विस्तारण प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned by CamScanner

मद सं0 35. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त राम प्रसाद बिस्मिल मेमोरियल डिग्री कॉलेज, बिस्मिल नगर, काकोरी, लखनऊ, तथा ए0के0जी0 कॉलेज, बीकामऊ, बक्शी का तालाब, लखनऊ में पूर्व से संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2017–18 के लिए विस्तारण प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 36. डा0 नरसिंह, सेवानिवृत्त आचार्य, व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग के विरूद्ध विभागीय/अनुशासनिक समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.05.2014 पर कार्य परिषद में निर्णय लम्बित रहते हुए दिनांक 30.06.2014 को उनकी सेवानिवृत्त हो जाने तक अनुशासनिक समिति की रिपोर्ट पर कोई निर्णय न लिये जाने की दशा में मा0 कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 14.12.2016 के अनुपालन में उक्त प्रकरण को कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में निक्षेपित किये जाने पर परिषद द्वारा सर्व सम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

मद सं0 37. लखनऊ विश्वविद्यालय में विधि छात्रावास में बियरर के पद पर कार्यरत स्व0 जगमोहन की मृत्यु के उपरान्त श्रीमती निर्मला देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में मृतक आश्रित सेवा नियमावली–1994 के अन्तर्गत अधिष्ठाता छात्र कल्याण की संस्तुति पर उनके पुत्र श्री आशीष वर्मा को विधि छात्रावास में रिक्त बियरर पद पर कार्य–भार ग्रहण करने की तिथि से वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड–पे रू0 1800/– अनुमन्य अन्य भत्तों के साथ मा0 कुलपति महोदय द्वारा अस्थायी नियुक्ति के दिए गए आदेश से परिषद अवगत हुई।

मद सं0 38. लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत स्व0 अनिल कुमार श्रीवास्तव, की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र रवि श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में मृतक आश्रित सेवा नियमावली–1994 के अन्तर्गत केन्द्रीय लेखा कार्यालय में रिक्त कनिष्ठ सहायक पद पर कार्य–भार ग्रहण करने की तिथि से वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड–पे रू0 2000/– अनुमन्य अन्य भत्तों के साथ मा0 कुलपति महोदय द्वारा अस्थायी नियुक्ति के दिए गए आदेश से परिषद अवगत हुई।

Scanned by CamScanner

मद सं0 39. लखनऊ विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान विभाग में लैब बियरर के पद पर कार्यरत स्व0 प्रमोद कुमार, की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती बरखा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.11.2016 के क्रम में श्रीमती बरखा पत्नी स्व0 प्रमोद कुमार को मृतक आश्रित सेवा नियमावली–1994 के अन्तर्गत रसायन विज्ञान विभाग में रिक्त लैब बियरर के पद पर कार्य–भार ग्रहण करने की तिथि से वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड–पे रू0 1800/– अनुमन्य अन्य भत्तों के साथ मा0 कुलपति महोदय द्वारा अस्थायी नियुक्ति के दिए गए आदेश से परिषद अवगत हुई।

मद सं0 40. लखनऊ विश्वविद्यालय के कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ललित कला संकाय, में माली के पद पर कार्यरत स्व0 राम किशोर की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र श्री दुर्गेश कश्यप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में मृतक आश्रित सेवा नियमावली–1994 के अन्तर्गत कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ललित कला संकाय, में कनिष्ठ सहायक का पद रिक्त न होने की स्थिति में अधिसंख्य पद पर कार्य–भार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक के रूप में वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड–पे रू0 2000/–अनुमन्य अन्य भत्तों के साथ मा0 कुलपति महोदय द्वारा अस्थायी नियुक्ति के दिए गए आदेश से परिषद अवगत हुई।

मद सं0 41 लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय परिधि में प्रस्तावित निर्माण हेतु अस्थायी जमीन अधिग्रहण हेतु 1454.47 वर्ग मीटर एवं स्थायी जमीन अधिग्रहण हेतु 22.86 वर्ग मीटर जमीन को लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव पर परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

मद सं0 42. मा0 कुलपति महोदय द्वारा कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में लखनऊ विश्वविद्यालय की वर्ष 2017 की स्वीकृत सार्वजनिक/निर्बन्धित अवकाश सूची से परिषद अवगत हुई।

मद सं0 43. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2.26 के अन्तर्गत कुलसचिव के पत्र संख्या जी 34761–820 दिनांक 20.12.2016 द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर विनोद सिंह को कुलानुशासक नियुक्त किये जाने के प्रकरण से परिषद अवगत हुई।

Scanned by CamScanner

अन्य मद कार्यवृत्त

मद सं0 01 परिषद द्वारा श्री ललित कुमार सिंह, सहायक आचार्य, मनोविज्ञान विभाग को उनके मूल प्रपत्रों की सम्बन्धित संस्था/सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराने के उपरान्त दिनांक 24.01.2017 से स्थायी किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

मद सं0 02 परिषद द्वारा डॉ0 करुणा शंकर कनौजिया, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग को उनके मूल प्रपत्रों की सम्बन्धित संस्था/सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराने के उपरान्त दिनांक 22.03.2017 से स्थायी किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

मद सं0 03 परिषद द्वारा श्री अशोक कुमार, सहायक आचार्य, सांख्यिकी विभाग को उनके मूल प्रपत्रों की सम्बन्धित संस्था/सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराने के उपरान्त दिनांक 19.01.2017 से स्थायी किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

मद सं0 04. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त वीर बहादुर सिंह महिला महाविद्यालय, संजय गाँधी पुरम, लखनऊ में बी0एड0 पाठ्यक्रम की स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी सहयुक्तता सत्र 2017–18 से प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 05. परिषद द्वारा मुलायम सिंह यादव लॉ कॉलेज, बेंती सरोजनी नगर, लखनऊ में विधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित करने हेतु अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2017–18 से तीन वर्षों हेतु प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 06. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त बलराम कृष्ण एकेडमी, अतरौली, मोहनलाल गंज, लखनऊ में बी0एड0 पाठ्यक्रम को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी सहयुक्तता सत्र 2017–18 से प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 07. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त माडर्न कॉलेज ऑफ एजूकेशन, बन्थरा, लखनऊ को बी0कॉम0 एवं बी0कॉम0 (आनर्स) पाठ्यक्रमों को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी सहयुक्तता सत्र 2017–18 से प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned by CamScanner

मद सं0 08. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुकत आर0डी0एस0जे0 लॉ कॉलेज, सहिजना, रहीमाबाद, लखनऊ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पूर्व से संचालित विधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को अस्थायी सहयुक्तता को सत्र 2017–18 के लिए इन शर्तों के अधीन कि – ''अस्थायी सहयुक्तता बी0सी0आई0 के अनुमोदनाधीन होगी अर्थात बी0सी0आई0 की अनुमति के उपरान्त ही प्रवेश लिये जाने की शर्त के साथ'' विस्तारण प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 09. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त निम्नलिखित महाविद्यालयों के सम्मुख अंकित पूर्व से संचालित पाठ्यक्रम को अस्थायी सहयुक्तता को सत्र 2017–18 के लिए शर्तों के अधीन विस्तारण प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम
1.	अमृतानन्दमयी कॉलेज ऑफ हायर एजूकेशन, बिन्दौवा, मोहनलालगंज, लखनऊ।	बी0एड0
2.	बासुदेव डिग्री कॉलेज, अमराईगॉव, इन्दिरा नगर, लखनऊ।	बी0एड0
3.	टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़, फैजाबाद रोड, अनौरा, लखनऊ।	बी0एड0
4.	अकबरी बेगम कॉलेज ऑफ एजूकेशन, गणेशपुर–रहमानपुर, फैजाबाद रोड, लखनऊ।	बी0एड0
5.	सत्यानन्द उच्च शिक्षा संस्थान, नीवा, बन्थरा, लखनऊ	बी0एड0
6.	गौतम बुद्ध डिग्री कॉलेज, गौरी रोड, बिजनौर, लखनऊ	बी0कॉम0
7.	ए0के0जी0 कॉलेज, बीकामऊ, कला, बक्शी का तालाब, लखनऊ।	बी0कॉम0

तत्समय प्रस्तुत किये गये अन्य मद की कार्यवृत्त

मद सं0 01 परिषद द्वारा गीता लॉ कॉलेज, लोनापुर, गोमतीनगर, लखनऊ में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित विधि त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रमों को सत्र 2017 – 18 से संचालित करने हेतु अस्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned by CamScanner

मद सं0 02 — प्रमुख सचिव के पत्र सं0 124/सत्तर –1–2017–16 (114)/2010 टीसी दिनांक 08.04.2017 के सन्दर्भ में विश्वविद्यालयों एंव महाविद्यालयों में शिक्षकों एंव अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिए आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन 2010 के संशोधित विनियमों को लागू किए जाने के आदेश को कार्यसूची में जोड़े जाने के पश्चात परिषद अवगत हुई ।

मद सं0 03 — माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य सूची में संलग्न करते हुए परिषद द्वारा श्रीमती शालिनी द्विवेदी पत्नी स्व0 प्रो0 अशोक कुमार, टैगोर पुस्तकालय को नियुक्ति की तिथि से नैत्यिक लिपिक पद का नियमित वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड–पे 2000/– तथा अनुमन्य अन्य भत्ते दिये जाने तथा उनकी नियुक्ति को अधिसंख्य पद पर हुई नियुक्ति पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक के अन्त में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा मा0 सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।

प्रो0 आर0के0सिंह
कुलसचिव/सचिव

प्रो0 एस0पी0सिंह
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned by CamScanner